मु.नं.–48 / 2020 GCMS ID-2020/00092 ता.रजु–11.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रीना बाई पत्नि सतीराम मीना ग्राम खिरकन पोस्ट मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कानून व्यवस्था के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 28.09.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020 व 02.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुल 14 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 459 दिनांक 14.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 26.06.2020 में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध ज़िला परिषद, करौली से होने के कारण उनके पत्रांक–सू.अ.अ. / 286–287 दिनांक 30.06.2020 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली को अंतरित कर दिया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है।
7. लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली ने पत्रांक–जिपक / पीएमएवाई–जी / 2019–20 / 2707–09 दिनांक 13.10.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक 2554–56 दिनांक 24.08.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना पर कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
8. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने / अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना / विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली